उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा विभाग

संख्या– 195 /XXIV(1)/2012/16/2006

देहरादूनः दिनाँक : 28 अगस्त, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 8 वर्ष 2006) की धारा 58 के क्रम में '**भारत का संविधान**' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;

(ख) **'सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय'** से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा देने वाले इण्टरमीडिएट कालेज के साथ सम्बद्ध कक्षा 1 से 5 के स्तर तक के संचालित सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय अभिप्रेत है;

(ग) **'खण्ड शिक्षा अधिकारी'** से जिले के विकास खण्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **'मुख्य शिक्षा अधिकारी'** से जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **'भारत का नागरिक'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ''**भारत का संविधान**'' के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(च) **'संविधान'** से '**भारत का संविधान**' अभिप्रेत है;

(छ) **'उप शिक्षा अधिकारी'** से जिले के विकास खण्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) **'निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा'** से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) **'जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)** से किसी जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ट) **'राज्यपाल'** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ठ) **'राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय'** से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जहाँ कक्षा

6 से कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है;

(ड) **'स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर कोई स्थानीय निकाय अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(ढ) **'सेवा का सदस्य'** से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मौलिक रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) **'राजकीय आदर्श विद्यालय'** से ऐसे विद्यालय अभिप्रेत है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है एवं जो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 से लागू होने से पूर्व राजकीय विद्यालयों के रूप में संचालित है;

(त) **'राजकीय प्राथमिक विद्यालय'** से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जहाँ कक्षा एक से पाँच तक की शिक्षा दी जाती है;

(थ) **'प्राचार्य'** से किसी जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला संसाधन केन्द्र के लिए राज्य सरकार इस रूप में नियुक्ति अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) **'मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)'** से किसी मण्डल के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) **'ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(न) **'चयन समिति'** से नियम 16 एवं 19 के उपनियम (1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(प) **'मौलिक नियुक्ति'** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(फ) **'प्रशिक्षण संस्था'** से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अध्यापन में मान्यता प्राप्त

उपाधि अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था, जो एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, अभिप्रेत है;

(ब) **'अध्यापक'** से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/अध्यापिका तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अभिप्रेत है;

(भ) **'नगर स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(म) **'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा'** से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे, अभिप्रेत है;

(य) **'भर्ती का वर्ष''** से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(र) ऐसे पद एवं पदावली का, जिन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में उल्लिखित है।

प्रवर्तन की सीमा **4.** यह नियमावली–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अधीन उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र तथा नगर स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के समस्त अध्यापकों पर, लागू होगी।

भाग 2 – संवर्ग

संवर्ग और सदस्य संख्या **5.** इस नियमावली के अन्तर्गत :––

(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध

प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।

(3) प्रत्येक संवर्ग के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय :

परन्तु यह कि :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को बिना भरे रख सकते हैं अथवा राज्यपाल किसी पद को आस्थगित रख सकते हैं, जिस पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग 3 – भर्ती

सेवा का स्रोत

6. निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :–

(क)	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय /राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 एवं 15 में उपबन्धित है।
(ख)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है;
(ग)	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है;

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/

राजकीय आदर्श विद्यालय

(घ)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।

भाग 4 – अर्हताएं

आयु

7. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय :

परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् यदि किसी अभ्यर्थी को विकास खण्ड में स्थान रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी हो तो निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्वानुमोदन से उतनी अवधि को जब तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, अधिकतम आयु सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते उसकी आयु नियुक्ति के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।

राष्ट्रीयता

8. किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है –

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया होना चाहिए; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास

करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, चयन सूची में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **9.** नियम 6 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अर्हतायें वहीं होगी जैसा कि उनके सम्मुख नीचे दर्शाया गया है एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) के प्राविधानों एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित जूनियर हाईस्कूलों में विषय अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम 6 के खण्ड (ग) एवं (घ) में उल्लिखित पदों के लिए विषय संयोजन, शैक्षिक अर्हतायें तथा न्यूनतम अनुभव ऐसा होगा जैसा कि

खण्ड (ख) एवं (ग) में दर्शाया गया है :–

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव
(क)	सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि : परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है; **(दो)** सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण;
(ख)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय /राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक/अध्यापिका (कक्षा 06 से 08)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों में से न्यूनतम 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा विषय अध्यापकानुरूप निम्नानुसार विषय संयोजन :– **(एक) सहायक अध्यापक (विज्ञान/गणित)–**

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में स्नातक उपाधि;

(दो) सहायक अध्यापक (सामाजिक अध्ययन)

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति–शास्त्र व इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि;

(तीन) सहायक अध्यापक (भाषा)–हिन्दी –

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से साहित्यिक हिन्दी (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक की उपाधि एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/ माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। कोई अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्कृत में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, प्रोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि वह संस्कृत विषय में स्नातक उपाधि रखता हो।

अंग्रेजी– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक उपाधि।

उर्दू– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप मे उर्दू के साथ उत्तीर्ण :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी

		उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, प्रोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो;
(ग)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका (कक्षा 06 से 08)	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ यथास्थिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालयों के सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

आरक्षण **10.** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती/प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी

निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता **13.** (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे अध्यापक के रूप में उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को स्वस्थता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग 5 – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा **14.** नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 10 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा।

पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना **15.** (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों

और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों, एक सूची तैयार करेगा :

परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6 के खण्ड (क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है :

परन्तु यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(2) ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, जिसका प्रशिक्षण में चयन होने के पश्चात् विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से भिन्न नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश दे सकता है।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्णांकों के श्रेष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उपनियम (1) व (3) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो।

(5) उपनियम (1) व (3) के अधीन तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

चयन समिति का गठन

16. इस नियमावली के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र – अध्यक्ष;

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) – सदस्य;

(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित उप शिक्षा अधिकारी – सदस्य;

(घ) उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सम्बन्धित

विकास खण्ड – सदस्य सचिव;

(ङ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग

का अधिकारी – सदस्य :

परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना

17. **(1)** नियम 16 में गठित चयन समिति यथास्थिति, नियम 15 के उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी तथा श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और श्रेष्ठताक्रम में जिसमें उनके नाम सूची में हों, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के श्रेष्ठता सूची में अंक बराबर–बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(2) चयन समिति चयनित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु कोई दिनांक नियत करेगी और ऐसे दिनांक की सूचना उन व्यक्तियों को देगी, जो नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हो।

(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।

(4) चयन समिति कुल रिक्त पदों के सापेक्ष प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं

अनारक्षित) में 25 प्रतिशत से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी। इस नियमावली के अधीन तैयार की गई कोई भी सूची इसके बनाये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक अथवा अगली चयन समिति की बैठक तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य होगी।

(5) चयन समिति, उपनियम (3) व (4) के अधीन तैयार सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग 6 – पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण

18. **(1)** सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा जनपद संवर्ग के प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड संवर्ग में नियुक्त सभी सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी। जनपद संवर्ग हेतु संयुक्त वरिष्ठता के निर्धारण के लिए स्रोत संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना की जायेगी। मौलिक नियुक्ति की तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को पहले स्थान दिया जायेगा।

(2) जनपदीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची पोषक संवर्ग/स्रोत संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर निर्धारित ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु चयन समिति

19. **(1)** पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु निम्नलिखित एक चयन समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/

जिला संसाधन केन्द्र – अध्यक्ष

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) – सदस्य सचिव

(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित श्रेणी–2 का एक अधिकारी – सदस्य

(घ) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामित खण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(ङ) जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य

परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।

(2) नियम 6 के खण्ड (ख), (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से निम्नवत् की जायेगी :–

क्र0 सं0	**पद**	**भर्ती की प्रक्रिया**
1	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापिका जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में अपने पद पर स्थायी रूप से न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
2	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक	ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापिका, जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में अपने पद पर स्थायी रूप से न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा नियम 9 के खण्ड (ख)

	विद्यालय /राजकीय आदर्श विद्यालय	में उल्लिखित विषय संयोजन के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित ऐसे प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय आदर्श विद्यालय, सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिन्होंने अपने पद पर स्थायी रूप से तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से मूल संवर्ग (पोषक संवर्ग) की ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) पदोन्नति प्रक्रिया अधोलिखित पदों हेतु निम्नवत् होगी :–

(क) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय :–

नियुक्ति प्राधिकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत् व्यक्तियों की जनपदीय स्तरीय संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी;

(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :–

नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च

प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक /प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष नियम 10 के अन्तर्गत आरक्षण श्रेणी के पदों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं अनारक्षित) में चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु दिये गये विकल्प–पत्रों की अंकना उनकी सेवा पंजिका में की

जायेगी। एक बार दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा;

(ग) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :–

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय आदर्श विद्यालय की सूची पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिका एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(4) चयन समिति, नियम 19 के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी, तत्पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत किया जायेगा।

(5) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) के पदों पर केवल महिला अध्यापिकाओं को ही पदोन्नति से पदस्थापित किया जायेगा, जिनका नाम नियम 19 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हो।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) में रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला अध्यापिकाओं को ऐसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें बालक एवं बालिकाएँ अध्ययनरत् हों, में पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित किया जायेगा।

(6) पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने पर यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा पदोन्नत पद पर पदोन्नति आदेश में उल्लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की

आगामी तीन वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। पदोन्नति दिये जाने और उसे स्वीकार न किये जाने की अंकना अनिवार्य रूप से सेवा पुस्तिका में की जायेगी और पदोन्नति स्वीकार न किये जाने की स्थिति में दिये जाने वाले वित्तीय लाभ जैसे चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं होंगे।

भाग 7 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति आदेश

20. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

परिवीक्षा

21. (1) मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप मे की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय। ऐसी बढ़ाई गई अवधि साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने

अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसे व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

22. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसने –

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;

(ग) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठता अभि–प्रमाणित है; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

23. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनाँक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनाँक माना जायेगा तथा

अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा वह अपनी ज्येष्ठता खो देगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके पोषक संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चयन के पश्चात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।

भाग 8 – वेतनादि

वेतनमान **24.** इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान संलग्न **परिशिष्ट 'क'** पर उल्लिखित है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. (1) परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन–मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति यदि अस्थायी सेवा में नहीं है तो उसे एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परीविक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है। संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 9 – अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत् सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तो का शिथिलीकरण

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{कृपया नियम 24 देखिएं}

क्र0 सं0	अध्यापक	वेतनमान बैण्ड (` में)	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन (` में)
1	2	3	4	5
	प्रारम्भिक शिक्षा			
1.	**सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान	ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
	(ख) चयन वेतनमान	ग्रेड–II – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4600

	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
2.	**प्रधानाध्यापक** **राजकीय प्राथमिक/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान	ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख) चयन वेतनमान	ग्रेड–II – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
3.	**प्रधानाध्यापक,** **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/** **राजकीय आदर्श विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान	ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ख) चयन वेतनमान	ग्रेड–II – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	6600

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–704 /XXIV(1)/2013–16/2006
देहरादूनः दिनाँक : 20 जुलाई, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 होगा।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग 2 संशोधन

नियम 7. का संशोधन 2 उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (जिसे यहापं आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम–7 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए : परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय : परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् यदि किसी अभ्यर्थी को विकास खण्ड में स्थान रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी हो तो निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्वानुमोदन से उतनी अवधि को जब तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, अधिकतम आयु सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते उसकी आयु नियुक्ति के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए ; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय : परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9. एवं अंकित टिप्पणी का संशोधन 3 मूल नियमावली, के नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

क्र0सं0	पद	स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक

	राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	स्नातक की उपाधिः परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ; (दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण ;	की उपाधिः परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और (दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान /जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता था) अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र, और (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0 टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
		टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।	टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने की दशा में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों के न्यूनतम 05 वर्ष अध्यापन अनुभव को 03 वर्ष किया जा सकता है। तदोपरान्त भी पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी । सीधी भर्ती पूर्ववत निर्धारित प्रक्रिया, आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के अन्तर्गत होगी तथा सीधी भर्ती में निचले प्रक्रम पर कार्यरत शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर दिया जायेगा, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित सम्बन्धित विषय के अध्यापन हेतु स्नातक स्तर पर विषय संयोजन की बाध्यता के अतिरिक्त निम्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी होना अनिवार्य

			है:– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी.टी.सी./डी.एल.एड.) उत्तीर्ण कर चुका हो तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) /एल.टी. अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) उत्तीर्ण हो। अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) /एल.टी. अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण हो। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–VI-VIII के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–II) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नियम 10 का संशोधन

4 मूल नियमावली के नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थातः–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती/प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

नियम 15. का संशोधन

5 मूल नियमावली, 2012 में उल्लिखित के नियम–15 के उप नियम–(1) (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित	(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा नियुक्ति प्राधिकारियों से नियम 14 के अन्तर्गत

जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों, एक सूची तैयार करेगा:	प्राप्त सूचियों को संकलित कर समाचार–पत्रों में विकासखण्डवार विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र हों, विकासखण्डवार पृथक–पृथक श्रेष्ठता क्रमानुसार सूची तैयार करेगा;
परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6 के खण्ड (क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है:	परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6(क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है ;
परन्तु यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय /राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।	यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे, 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे,
(2) ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, जिसका प्रशिक्षण में चयन होने के पश्चात विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से भिन्न नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश दे सकता है।	(2) परन्तु यह भी कि ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसका सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति से पूर्व विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (प्रा.शि.) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से पृथक कर मण्डलान्तर्गत नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश देगा ,
	परन्तु यह भी और कि मण्डल के बाहर के जनपद के लिए नवीन जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ही जारी किया जायेगा।
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्णांकों के श्रेष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।

नियम 17. का संशोधन

6 मूल नियमावली के नियम–17 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।	(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।

नियम 19 (3) (ख) का संशोधन — 7 मूल नियमावली के नियम–19 के उपनियम (3)(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(3)(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :– नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक /अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी : परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष नियम 10 के अन्तर्गत आरक्षण श्रेणी के पदों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं अनारक्षित) में चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/	(3)(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय :– नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक / अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी : परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन की संस्तुतियों की सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय / राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय / सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु दिये गये विकल्प–पत्रों की अंकना उनकी सेवा पंजिका में की जायेगी। एक बार दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा;	

नियम 23. का संशोधन — 8 — मूल नियमावली, के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चयन के पश्चात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय / सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक / अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।	(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों को उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय / सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक / अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।

नियम 30 कार्य एवं दायित्व — 9 — मूल नियमावली के नियम–29 के पश्चात एक नया नियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

" बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के प्राविधानों के अनुसार शिक्षकों के कर्तव्यों की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी–

अध्यापक :–

(क) विद्यालय में नियमितता बनाये रखने और समय से उपस्थिति, नियमित अध्यापन, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) विद्यालय में प्रत्येक बालक की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का मानीटर करके नियमित आधार पर माता–पिता के साथ छात्रों के सम्पादन में सहभागिता करेगा।

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति को उसके क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा।

(ड.) बालकों के ज्ञान की समझ और उसका या उसकी योग्यता उसी प्रकार लागू करेगा तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य सम्बन्धी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित करेगा तथा उसके आधार पर पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(च) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेगा, पाठ्य संरचना एवं पाठ्य विवरण का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में भाग लेगा।

(छ) विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में सहयोग करेगा।

(ज) ऐसे कार्यो और दायित्वों का निवर्हन करना, जैसे विभाग द्वारा समय–समय पर सौपे जांय।

नये भाग का प्रतिस्थापन — 10 — **31.** मूल नियमावली के नियमों के पश्चात केवल शासनादेश सॅं0 1283/ XXIV(1)/2011–28/2010 दिनॉक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रयोजनार्थ एक नया भाग 10 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:–

<u>भाग 10 – प्रशिक्षु शिक्षक</u>

आयु सीमा — (1) — सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए,

5 मार्च 2014 // IInd Amendment द्वारा 40 वर्ष से 42 वर्ष किया गया

Deleted by 2nd Amt

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिये 03 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

शैक्षिक अर्हता (2)

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या–215 दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–158 दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर तीन तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–2512(E) दिनांक 17.10.2012 के अधीन बी0एड0 अर्हताधारी प्रशिक्षु शिक्षक भी 31.03.2014 तक नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0 टी0–I) उत्तीर्ण;

पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं नियुक्ति (3)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार चयनित प्रशिक्षु शिक्षक, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे तथा इनका श्रेष्ठता क्रम एवं आरक्षण की स्थिति वहीं होगी जो इनके प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयन में थी।

सम्बन्धित विकासखण्ड का उप शिक्षा अधिकारी इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

नियुक्ति के पश्चात विशेष प्रशिक्षण का प्राविधान (4)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर–3 के अधीन नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छः माह का विशेष प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने की दशा में वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण न कर लें।

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

Second amendment

IInd Amend

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)

सं0 346/XXIV(1) /2014-16/2006

देहरादून, दिनांक 05 मार्च, 2014

अधिसूचना सं0 140/XXIV(1)/2014–16/2006 दिनांक 05 मार्च, 2014 तथा अधिसूचना सं0 270/XXIV(1)/2014–16/2006 दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त दोनों अधिसूचनाओं को असाधारण ग़जट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां शिक्षा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

5– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

6– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।

8– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।

9– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।

10– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावलियों के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।

12– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

D(B)
05.03.2014

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा विभाग
संख्या– 140 /XXIV(1)/2014–16/06
देहरादून : दिनाँक 05 मार्च, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रतर संशोधन करते हुए निम्न नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग 2 संशोधन

भाग–10 नियम 1. का संशोधन (आयु सीमा)

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में उल्लिखित नियम 31 के नीचे स्तम्भ–1 में भाग–10 नियम–1 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी व्यवस्था रख दी जायेगी :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए 03 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

भाग–10 नियम 3. का संशोधन

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 में उल्लिखित नियम 31 के नीचे स्तम्भ–1 में भाग–10 के नियम–3 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी व्यवस्था रख दी जायेगी :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार चयनित प्रशिक्षु शिक्षक, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे तथा इनका श्रेष्ठता क्रम एवं आरक्षण की स्थिति वहीं होगी जो इनके प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयन में थी। सम्बन्धित विकासखण्ड का उप शिक्षा अधिकारी इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होगा।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2014 तक बी0एड0 टी0ई0टी0 (I-V) उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(क)(2) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक (उर्दू) रा0प्रा0वि0 के पद पर 31.03.2014 तक नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। नियम–15(1) में उल्लिखित प्रस्तर–2 एवं 3 ऐसे चयन हेतु यथावत् लागू होंगे। राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा विभाग
संख्या–270 /XXIV(1)/2014–16/2006
देहरादूनः दिनाँक : 05 मार्च, 2014
अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 होगा।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये भाग का प्रतिस्थापन 11

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 के नियम 31 भाग–10 (प्रशिक्षु शिक्षक) के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) नई दिल्ली के पत्रांक F. 62-4 /2011/NCTE/ N&S/ A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I से मुक्त दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण शिक्षा मित्र एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर समायोजन के प्रयोजनार्थ एक नया भाग–11 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :–

भाग 11 – अध्यापक पात्रता परीक्षा मुक्त शिक्षा मित्र

शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताऐं 32

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ (कक्षा 01 से 05)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, 2. राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण, 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/ A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र अथवा इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव